

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2023 को हरियाणा महिला विकास नगिम के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये हरियाणा महिला विकास नगिम के माध्यम से वर्ष 2021-22 से 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना' शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिये नगिम सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि वे कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
- योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं/लड़कियों, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक न हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलाया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा समय पर कसितों का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि नगिम द्वारा दी जाती है।
- प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि ऑटो रिक्षा, छोटा सामान ढोने के लिये वाहन, थ्री व्हीलर, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बसिकुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि के लिये महिलाओं को ऋण प्रदान करवाया जाता है।